(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

चैनी बनाम तहसीलदार माण्डल

किस्म मुकदमा अपील नं0 8 सन् 2016

नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9.16	वाद / प्रार्थनापत्र/अपील बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-10-16 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
3-10-16	दरमीयान अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली (रिकॉर्ड) तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से दाखिल पत्र की प्रवण कुमार एडवोकेट ने पेश किया- जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दरमीयान अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। दरमीयान अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान दरमीयान अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वापिस लिया जाकर अपील का निस्तारण किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हुए इसी स्तर पर नोट शीट करने कार्यवाही Drop कराना चाहते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहने के प्रकरण में कार्यवाही Drop किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली पेश कर श्रृंगार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	नि० चैनी I.d.v.me S.L.R.U.C.R.S